

नम्बर
अहकाम
हुक्म
में

फर्द अहकाम

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा

उनवान

..... कमा बनाम अनिता

किस्म धारा 53, 188 वेद/प्रा.पत्र

मु0नं0 161/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/7/24	<p>प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला शाहपुरा से संयुक्त शासन सचिव राजस्व(ग्रुप-1) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक/प.9(89) राज-1/2023/तहसील सवाईपुर दिनांक 03.08.2023 से जारी अधिसूचना अनुसार तहसील बनेडा का पुनर्गठन होने से ग्राम पंचायत बबराणा / खेडलिया / महुआखुर्द को उपखण्ड भीलवाडा सम्मिलित किये जाने से इस न्यायालय में स्थानान्तरित की है, प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी कर प्रकरण वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 21/10/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>Shad</i> उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा</p>	
12/9/24	<p>प्राथमिकी केरु हुर्द काकी अधिकार के प्रस्ताव शर्कता पर विज्ञापन करने से तालम की गई काकी व काकी आधिकार प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं अपने अधिकारों को सुरक्षित करने हुये प्रकरण को विज्ञापन करने की अनुमति-प्राप्ति की काकी अधिकारों को प्रकरण विज्ञापन करने की अनुमति खतर की जाती है प्रकरण फसल सुआ केरु नखा से कम ठिपा नवि</p> <p style="text-align: right;"><i>Shad</i> उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा</p>	